कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 236/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.06.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने तथा अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 18.06.2026 को थाना जहानागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरवन, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, शादी से इंकार करने तथा अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 127/2026 धारा 69/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 115(2)/351(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.06.2026 को उ0नि0 अभिषेक कुमार कुशवाहा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ विक्की सिंह को परदेशी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रोशन सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 127/2026 धारा 69/352 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 115(2)/351(3) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहानागंज का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न, मारपीट, धमकी सहित अन्य गंभीर अपराधों के कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं।

1. मु0अ0सं0 599/2008 धारा 307/323/506 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 600/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 306/2009 धारा 392 भादवि, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 05/2008 धारा 356/411 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 192/2008 धारा 413 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 67/2021 धारा 188/269/171-एफ भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 151/2021 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 204/2023 धारा 323/504/506 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 376/2023 धारा 323/504/506 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 390/2023 धारा 323/506 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 113/2024 धारा 323/504/506/308/354(ख) भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
12. धारा 110 सीआरपीसी, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
13. धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 43/2008 धारा 307 भादवि व 07 सीएलए एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
15. मु0अ0सं0 46/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
16. मु0अ0सं0 70/2008 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
17. मु0अ0सं0 130/2025 धारा 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
18. मु0अ0सं0 568/2009 धारा 356 भादवि, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार कुशवाहा थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 श्रीप्रकाश सिंह थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अमित कुमार थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के प्रकरण में वांछित सास गिरफ्तार, सरायमीर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना का विवरण–

दिनांक 15.06.2026 को वादी द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2025 में मो० सैफ निवासी राजापुर सिकरौर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत पति, सास, ननद तथा अन्य परिजनों द्वारा दहेज में ₹05 लाख की अतिरिक्त मांग को लेकर लगातार उत्पीड़न, मारपीट एवं प्रताड़ना की जा रही थी। आरोप है कि उक्त मांग पूरी न होने पर दिनांक 09.06.2026 को पीड़िता की हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 155/2026 धारा 85/61(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम पति मो० सैफ, सास शबा, ननद सोमायला, हदीसून एवं तनवीर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 19.06.2026 को उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर गढ़वा मोड़ क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता शबा पत्नी मो० जावेद निवासी राजापुर सिकरौर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. शबा पत्नी मो० जावेद निवासी राजापुर सिकरौर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 155/2026 धारा 85/61(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 विजय प्रसाद, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।
3. रि0का0 शैलेश कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।
4. रि0म0का0 शहनाज खातून, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाकर दहशत फैलाने का प्रयास करने वाले युवक के वाहन पर कार्रवाई

इंस्टाग्राम आईडी 'mahendra.yadav9798' से वायरल फोटो-वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में किया सीज

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद में सोशल मीडिया के माध्यम से **गैंग संस्कृति, दबंगई एवं दहशत फैलाने वाले व्यक्तियों** के विरुद्ध चलाए जा रहे ***'ऑपरेशन वज्रपात'*** के तहत **थाना सिधारी पुलिस** द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है।

पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **इंस्टाग्राम पर *'mahendra.yadav9798'*** नामक आईडी से प्रसारित फोटो एवं वीडियो प्राप्त हुए, जिनमें वाहन संख्या *UP 50 CZ 2694* का प्रयोग कर क्षेत्र में प्रभाव एवं दबदबा प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से आमजन में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की आशंका थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सिधारी पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी दबंग छवि प्रस्तुत करने तथा आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था।

उक्त कृत्य के संबंध में थाना सिधारी पर तैनात उ0नि0 मनीष मिश्रा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन संख्या *UP 50 CZ 2694* को *धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम* के अंतर्गत सीज किया गया।

ऑपरेशन वज्रपात के तहत लगातार जारी है कार्रवाई-

जनपद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने, अपराधी छवि प्रस्तुत करने, दहशत फैलाने अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को लगातार चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जनपद पुलिस की अपील-

सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं कानून सम्मत तरीके से करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा दहशत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। *एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन वज्रपात के तहत ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।*

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को दिलाई राहत, साइबर सेल की तत्परता से ₹8,982 की धनराशि वापस कराई गई
साइबर हेल्पलाइन 1930 पर समय से शिकायत दर्ज कराने से संभव हुई त्वरित कार्रवाई, जनपद पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

घटना का विवरण–

दिनांक 28.05.2026 को शिकायतकर्ता विशाल मौर्या पुत्र मंशा निवासी ग्राम शहजेरपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक खाते से साइबर अपराधियों द्वारा ₹16,982 की धनराशि की धोखाधड़ी कर ली गई। घटना की जानकारी होने पर शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत संख्या (Ack No.- 33105260119064) है।

रूपया वापसी का विवरण–

प्रकरण की जांच साइबर टीम द्वारा की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता के खाते से निकाली गई धनराशि में से ₹8,982 का उपयोग Amazon Pay के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी में किया गया था। साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विवरण अमेजन कंपनी के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। नोडल अधिकारी द्वारा मामले का परीक्षण कर उक्त खरीददारी को निरस्त करते हुए ₹8,982 की धनराशि शिकायतकर्ता के खाते में रिफंड करा दी गई।

धनराशि वापस मिलने पर शिकायतकर्ता एवं उसके परिजनों द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर अपराध से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां–

➡ किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें।

➡ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।

➡ ऑनलाइन खरीदारी या भुगतान करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं अधिकृत एप्लीकेशन का ही प्रयोग करें।

➡ केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, नौकरी, लॉटरी, निवेश, कूरियर अथवा बैंक अधिकारी बनकर आने वाले कॉल से सतर्क रहें।

➡ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल *साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930* अथवा *राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल* पर शिकायत दर्ज कराएं।

➡ शिकायत जितनी शीघ्र दर्ज होगी, धनराशि वापस होने की संभावना उतनी अधिक होगी।

पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दयानन्द
2. म0आ0 पूजा पाण्डेय

➡ ***जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन की साइबर सुरक्षा हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। किसी भी साइबर अपराध की सूचना तत्काल 1930 पर दें एवं स्वयं भी जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें।***

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
मोहर्रम के दौरान मारपीट, पथराव, तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 06 अभियुक्ताएं गिरफ्तार, दीदारगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना का विवरण–

दिनांक 18.06.2026 को वादी श्री जिलाजीत सेठ पुत्र शीलचन्द सेठ निवासी ग्राम खेतासराय, जनपद जौनपुर (हाल पता ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़) द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि मोहर्रम पर्व के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर लगाए गए झण्डा एवं लाउडस्पीकर हटाए जाने की बात को लेकर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लोहे की रॉड एवं पत्थरों से हमला किया गया। साथ ही वादी की मोटरसाइकिल एवं मकान में तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 109(1), 3(5), 324(4), 351(3) बीएनएस बनाम अल्ताफ, सेराज, अबरार, मो0 कैश, तरीकुलनिशा, रेहाना, रिजवाना, अंजुम, तबस्सुम, सरीफुनीशा एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 19.06.2026 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित 06

अभियुक्ताओं को फुलेश बाजार तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ताएं–

1. तरीकुलनिशा पत्नी अकबाल, उम्र करीब 58 वर्ष , निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. अंजुम पत्नी अल्ताफ, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
3. सरीफुनीशा पत्नी शमशाद उर्फ पप्पू, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
4. रेहाना पत्नी नौशाद, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
5. तबस्सुम पुत्री शमशाद उर्फ पप्पू, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
6. रिजवाना पत्नी अबरार, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम फुलेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 117/2026 धारा 109(1), 3(5), 324(4), 351(3) बीएनएस, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह , थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. रि0का0 रवि वर्मा, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 पल्लवी वर्मा, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
4. रि0म0का0 अंजिला निषाद, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़

□ जहानागंज बाजार में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में 03 व्यक्तियों पर पुलिस की कार्रवाई

□ शांति व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका पर 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान कर भेजा गया न्यायालय

घटना का विवरण–

सोशल मीडिया पर थाना क्षेत्र जहानागंज के बाजार क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना जहानागंज पुलिस द्वारा तत्काल जांच की गई। जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान की गई। उनके कृत्य से क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा आमजन में भय एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना पाई गई।

पुलिस कार्रवाई–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

दिनांक 19.06.2026 को वायरल वीडियो से संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया तथा उनके विरुद्ध शांति भंग की आशंका के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए चालान कर माननीय उप जिलाधिकारी (सदर) न्यायालय भेजा गया।

चालानशुदा व्यक्तियों का विवरण–

1. अमन सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर, निवासी मुस्तफाबाद (मिश्रा मार्केट), थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष।
2. आदित्य वर्मा पुत्र मनोज वर्मा, निवासी मुस्तफाबाद (मिश्रा मार्केट), थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष।
3. सूरज विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण विश्वकर्मा, निवासी बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष।

पुलिस की अपील–

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की मारपीट, उपद्रव अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली घटनाओं पर पुलिस की सतत निगरानी रहती है तथा शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर 'जिद्दी गैंग' संचालित कर दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवकों की हुई काउंसलिंग

□ इंस्टाग्राम के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चिन्हित युवकों को अभिभावकों की उपस्थिति में दी गई सख्त चेतावनी

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु संचालित *"ऑपरेशन वज्रपात"* के तहत थाना फूलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।
क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरण पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ युवक इंस्टाग्राम पर *"जिद्दी गैंग"* के नाम से समूह बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट एवं गतिविधियां आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के साथ-साथ युवाओं को गैंग संस्कृति की ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना फूलपुर पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा जांच कर गैंग से जुड़े युवकों को चिन्हित किया गया। चिन्हित व्यक्तियों में विशाल कुमार उर्फ जिद्दी पुत्र लालबहादुर निवासी पुरागडेरिया थाना फूलपुर (गैंग लीडर), अभिषेक कुमार पुत्र रामअधार निवासी जौमा थाना फूलपुर (सदस्य) तथा अंकित यादव पुत्र लालबहादुर यादव निवासी यूनियन बैंक के पीछे, कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर (सदस्य) शामिल हैं।

उक्त युवकों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर बुलाकर विस्तृत काउंसलिंग की गई। इस दौरान उन्हें कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग तथा गैंग संस्कृति के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने एवं सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने की सख्त हिदायत दी गई।
ऑपरेशन वज्रपात के तहत जनपद पुलिस की अपील–

जनपद पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने एवं सकारात्मक कार्यों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा दहशत फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
साइबर टीम फूलपुर–

1. उ0नि0 दयानन्द, का0 दुर्गेश विश्वकर्मा, का0 शनि कुमार वर्मा

एसएसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर अपराधी एवं गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।

थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर प्लास्टिक के तमंचे के साथ रील बनाकर रौब दिखाने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई

□ गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर कंधरापुर पुलिस का प्रहार, अभिभावकों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु संचालित *"ऑपरेशन वज्रपात"* के तहत थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरण पाल सिंह के कुशल नेतृत्व एवं प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर श्री केदारनाथ मौर्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एवं इंस्टाग्राम की निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले वीडियो एवं रील पोस्ट कर आमजन में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।

जांच के दौरान एक वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें *दुर्गेश मौर्य पुत्र रामआधार मौर्य निवासी आखापुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष* प्लास्टिक के तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था तथा स्वयं को प्रभावशाली एवं दबंग प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था। उक्त वीडियो का सत्यापन कर संबंधित युवक की पहचान की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा युवक को चिन्हित कर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत *धारा 170 बीएनएसएस* के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके उपरांत युवक को उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर में बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

ऑपरेशन वज्रपात के तहत पुलिस की अपील–
जनपद पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता करने एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, असलहा प्रदर्शन, दबंगई अथवा दहशत फैलाने वाले कंटेंट प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा, का0 मनमोहन कुमार, म0आ0 पूनम सिंह, का0 प्रमोद यादव (साइबर)

एसएसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर अपराधी एवं गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी है।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़
□ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ 'नई किरण' की बैठक में 02 बिखरे परिवारों को पुनः मिलाया गया, वैवाहिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का सफल प्रयास
आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 19.06.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित *परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण* की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान कुल 06 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से 05 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए आपसी संवाद एवं परामर्श के माध्यम से मतभेद दूर कराने का प्रयास किया गया।
मीडिएशन के दौरान अथक प्रयासों एवं प्रभावी काउंसलिंग के फलस्वरूप 02 प्रकरणों में पति-पत्नी एवं उनके परिजनों के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराया गया तथा दोनों परिवारों को पुनः साथ रहने के लिए राजी किया गया। 01 प्रकरण में कम दान-दहेज की मांग एवं पारिवारिक प्रताड़ना से संबंधित विवाद तथा 01 अन्य प्रकरण में पति द्वारा शराब के सेवन के उपरांत मारपीट एवं मानसिक प्रताड़ना से संबंधित शिकायत पर सुनवाई की गई। 02 पत्रावलियों का निस्तारण अन्य कारणों से किया गया। शेष प्रकरणों में अगली तिथि नियत कर दोनों पक्षों को पुनः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

नई किरण परियोजना का उद्देश्य–
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ *'नई किरण'* का उद्देश्य वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर टूटते परिवारों को पुनः जोड़ना है। यह परियोजना न केवल परिवारों में नई उम्मीद एवं विश्वास का संचार कर रही है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
समझौता सम्पन्न प्रकरण–

1. अंजली पुत्री कवंचल, निवासी जोलहापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. संध्या चौहान पुत्री महेन्द्र चौहान, निवासी बेला, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी–

1. उ0नि0 सत्यनारायण यादव
2. उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी
3. आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
4. महिला आरक्षी नेहा सिंह

कुल समझौते – 02
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण
पुलिस कार्यालय, जनपद आजमगढ़

थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़

□ बिना परमिट अवैध रूप से सवारी ढोने एवं ब्रिज के नीचे अवैध वाहन स्टैंड संचालित करने वाले 20 व्यक्तियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

□ सवारी बैठाने को लेकर चालकों के बीच आपसी विवाद, गाली-गलौज एवं यात्रियों से वाद-विवाद की शिकायतों पर 21 वाहन सीज

□ भवरनाथ चौराहा व सेहदा अंडरपास पर विशेष अभियान, शांति एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले 20 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कंधरापुर के नेतृत्व में दिनांक 19.06.2026 को अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना कंधरापुर क्षेत्रान्तर्गत *भवरनाथ चौराहा एवं सेहदा अंडरपास* के पास पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग की गई। जांच में पाया गया कि कई चारपहिया वाहन चालक बिना वैध परमिट एवं आवश्यक अभिलेखों के अवैध रूप से सवारी (यात्री) ढो रहे थे तथा ब्रिज/अंडरपास के नीचे अनधिकृत रूप से वाहन खड़े कर अवैध वाहन स्टैंड का संचालन कर रहे थे। इसके कारण यातायात बाधित हो रहा था तथा आमजन को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सवारी बैठाने को लेकर वाहन चालकों के बीच अक्सर आपसी विवाद, गाली-गलौज एवं हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तथा यात्रियों से भी किराया एवं सवारी बैठाने को लेकर वाद-विवाद किया जाता था। ऐसी गतिविधियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने एवं किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती थी।

वाहनों के कागजात एवं परिवहन संबंधी अभिलेखों की जांच किए जाने पर चालक आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप *21 वाहनों को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।* साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत *20 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालानी कार्रवाई कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।*

चालानशुदा व्यक्तियों का विवरण–

कार्रवाई के दौरान दुर्गेश राय, प्रिंस यादव उर्फ बृजेश यादव, मोहम्मद साहिद, अभिषेक सिंह तोमर, विवेक सिंह, दुर्गा राय, शिवकुमार यादव, संतोष चौरसिया, दिनेश गौड़, आनन्द यादव, मोहम्मद इमरान, कमलेश यादव, ईसा हाशमी, हिमांचल सिंह, शफीक अंसारी, शशिकान्त, विमलेश सिंह, कपिल पासवान, शिवम यादव तथा तेजबहादुर यादव को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।

बरामदगी/सीजर–

➡□ 21 अदद चारपहिया वाहन सीजशुदा (धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम)

पुलिस टीम–

व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, यातायात पुलिस एवं थाना कंधरापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अभियान सफलतापूर्वक संपादित किया गया, जिसमें थाना एवं यातायात शाखा के अनेक अधिकारी/कर्मचारी शामिल रहे।

जनपद पुलिस की अपील–

बिना वैध परमिट एवं आवश्यक अभिलेखों के यात्री वाहन संचालन करना तथा सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत वाहन स्टैंड संचालित करना दण्डनीय है। जनपद पुलिस द्वारा ऐसे अवैध कार्यों के विरुद्ध भविष्य में भी सघन अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती रहेगी।

थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़
□ थाना कंधरापुर परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए 32 आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास सम्पन्न
□ अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाइप-बी आवासीय परियोजना का शुभारम्भ

आजमगढ़। पुलिस कर्मियों के आवासीय एवं कल्याणकारी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज दिनांक 19.06.2026 को थाना कंधरापुर परिसर में *टाइप-बी के 32 नग आवास (जी+3) के 02 ब्लॉकों* के निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में *अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह* एवं *क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी* द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर थाना कंधरापुर के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उक्त परियोजना के अंतर्गत थाना कंधरापुर परिसर में *टाइप-बी श्रेणी के कुल 32 आधुनिक आवासीय इकाइयों (जी+3) के 02 ब्लॉकों* का निर्माण कराया जाएगा। यह आवासीय परिसर पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों को बेहतर एवं सुविधाजनक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

परियोजना के लिए *₹11.39 करोड़ (लगभग)* की स्वीकृत धनराशि प्रदान की गई है, जबकि *₹5.69 करोड़ (लगभग)* की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य का शुभारम्भ दिनांक *19.06.2026* से किया गया है तथा इसे *20.12.2027* तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निर्माणाधीन प्रत्येक आवास में *02 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, किचन, 02 बालकनी, सामान्य शौचालय/बाथरूम, मास्टर बेडरूम से संबद्ध अटैच शौचालय/बाथरूम एवं ड्रेसिंग रूम* जैसी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

उक्त निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था *उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, निर्माण इकाई वाराणसी* है, जो निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप परियोजना को पूर्ण करेगी।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन एवं पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह परियोजना पुलिस बल के मनोबल, कार्यक्षमता एवं कल्याण को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

जनपद पुलिस परिवार के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं प्राप्त होंगी।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
□ नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
□ पीड़िता की बरामदगी एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी, वांछित अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर अगवा करने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
घटना का विवरण-
दिनांक 12.06.2026 को अभियुक्त *सचिन पुत्र मनोज कुमार निवासी मोहीउद्दीनपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़* द्वारा मुकदमा वादी की 17 वर्षीय नाबालिग पोती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद युवती का पता नहीं चलने पर वादी की तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर दिनांक 13.06.2026 को *मु0अ0सं0 151/2026* धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 17.06.2026 को पीड़िता की सकुशल बरामदगी के उपरांत उसके बयान, साक्ष्यों एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में *धारा 64(1) बीएनएस तथा 3/4(1) पॉक्सो एक्ट* की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 19.06.2026 को उपनिरीक्षक राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी रशीदगंज मय हमराह अभियुक्त की तलाश एवं विवेचना संबंधी कार्यवाही में क्षेत्र में मौजूद थे। इसी क्रम में अभियुक्त *सचिन पुत्र मनोज कुमार निवासी मोहीउद्दीनपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़* को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 151/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस एवं धारा 3/4(1) पॉक्सो एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
सचिन पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम मोहीउद्दीनपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।
बरामदगी-
निल।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय
2. का0 मुकेश कुमार विश्वकर्मा
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी कर रील वायरल करने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई
□ युवाओं में गलत संदेश फैलाने एवं यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कृत्यों पर पुलिस की सख्त नजर

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही दिखावटी एवं जोखिमपूर्ण प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु संचालित *"ऑपरेशन वज्रपात"* के तहत थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सतत निगरानी के दौरान पुलिस को संज्ञान में आया कि *गोविंद पुत्र नोखुलाल, निवासी कोयलारी खुर्द, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष* द्वारा स्टंटबाजी से संबंधित वीडियो एवं पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित कर वायरल किए जा रहे हैं। उक्त वीडियो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करने के साथ-साथ यातायात नियमों की अवहेलना एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले पाए गए।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा संबंधित युवक को चिन्हित कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उससे पूछताछ की गई। साथ ही उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ऑपरेशन वज्रपात के तहत पुलिस की अपील–
जनपद पुलिस आमजन, विशेषकर युवाओं से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी, खतरनाक वाहन संचालन, यातायात नियमों के उल्लंघन अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार न करें। सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज एवं लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किए गए ऐसे कृत्य स्वयं तथा अन्य लोगों के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर दहशत, स्टंटबाजी एवं अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.06.2026, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा **हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक को 30000/- रुपये तथा दूसरे को 25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक को 30000/- रुपये तथा दूसरे को 25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 07.11.2023 को वादिनी शबनम पत्नी मुस्तकीम निवासी ग्राम सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1- मो0 कासिम पुत्र अबूहासिम उर्फ मिट्ठन 2- मो0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासीगण सदरपुर, बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पुत्र को गोली मारकर हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 520/2023 धारा-302,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 19.06.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1- मो0 कासिम पुत्र अबूहासिम उर्फ मिट्ठन 2- मो0 फहीम पुत्र सलाउद्दीन निवासीगण सदरपुर, बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व कासिम को 30000/- रुपये तथा फहीम को 25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-**04.06.2002** को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री दयाराम भाष्कर थानाध्यक्ष बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त राजेश यादव पुत्र शिवबदन यादव निवासी अवदहपुर, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 65/2002 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-19.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त राजेश यादव पुत्र शिवबदन यादव निवासी अवदहपुर, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**